

23.6.17

जायस से संहर

व्यक्ति का नाम

पत्रावली के दिनांक को रोड़ वला पर फेरा वादी वादी के अधिकारता

उपरोक्त वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि

सहरद जिला मुख्यालय पर 10 वीं नंबर के वादी की शिकायत के तहत

वादी की शिकायत के तहत वादी की शिकायत के तहत

वादी की शिकायत के तहत वादी की शिकायत के तहत

वादी की शिकायत के तहत वादी की शिकायत के तहत

वादी की शिकायत के तहत वादी की शिकायत के तहत

वादी की शिकायत के तहत वादी की शिकायत के तहत

उपरोक्त (संलग्न पत्र)

दिनांक 23.6.17

पर प्रतिवादी स. 02 ने वकीला 03 किरवा
प्रतिवादी स. 03 ने 05 किरवा प्रतिवादी स. 0
4 से 07 ने वकीला 4 किरवा भूमि
पर जबरन कब्जा कर उक्त आराजी
संबंध में प्रतिवादी स. 01 से 07 का कोई
हवा अधिकार नहीं है।

अतः आ. नं 5 रवाला 10 वकीला 05
किरवा में से प्रति. स. 1 का 1 वकीला 3 किरवा
पर प्रतिवादी संख्या 2 ने 1 वकीला 05 किरवा
प्रतिवादी स. 03 ने 05 किरवा प्रतिवादी सं.
4 ने 7 ने वकीला 04 किरवा भूमि पर वि. प्र.
का कर्ज से प्रतिवादी सं. 01 से प्राप्त कर वादी
को दिए जाने के आदेश दिए।
पनावली व प्रस्तुत दस्तावेजों का
अवलोकन किया गया।

आदेश

वादी का दाव पत्र स्वीकार किया जाता
है कि ग्राम कल्याणपुर के आ. नं 05 रवाला
10 किरवा वादी की भूमि पर प्रतिवादी 01
रवाला 01 वकीला 03 किरवा, प्रतिवादी स. 2 ने
01 वकीला 05 किरवा प्रतिवादी स. 3 ने 5 किरवा
प्रति. स. 4 से 7 ने 01 वकीला 04 किरवा पर
कब्जा कर रहा है। अतः तहसीलदार मो. के
पर जाकर अउपरोक्त मुसद् प्रतिवादी सं.
का कर्ज हटाया जा कर वादी को
सौंपे गए।

इसके बारे में अपना-अपना बहस
कर।

निर्णय दिनांक 23.6.2017 को कोर्ट ऑफिस
वारांडी में सर आम सुनाया गया।
पनावली फारल शुमार है कर
नाम्बर से काम हो।



पीठासीन अधिकारी:- श्रीमति रेनु मीना आर०ए०एस०

उनवान

- 1. श्री निर्मलसिंह पुत्र वज्ररंगसिंह राजपूत नि. वारो इन्चला
वज्रराम वादी
- श्री महावीर सिंह पुत्र वालूसिंह राजावत राजपूत वारो इन्चला
- " लखवन्त सिंह " "
- " नारायणसिंह पुत्र सज्जनासिंह " "
- " शंभुवीरसिंह पुत्र उदयासिंह " "
- " गणपालसिंह पुत्र " "
- " सुखपन्दु सिंह पुत्र " "
- " लुण्ठपाल सिंह " "
- लाहसीलदार भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

दावा बाबत- 183,188 अ.नं.अ

मुकदमा नम्बर :- 43/15

निर्णय दिनांक :- 23.6.17

वादी की ओर से 23.6.17 की व प्रतिवादी की ओर से..... उपस्थिति में इस वाद में

आज तारीख 23.6.17 को (नाम पीठासीन अधिकारी श्रीमती रेनु मीना) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-

ग्राम बलियाणपुरा के आ.नं. 5 खण्डा खण्डा
 10 बीघा 05 किरवा वादी की सुमि पर प्राप्ति 1501 डाय
 खण्डा 01 बीघा 03 किरवा, प्राप्ति 1502 डाय 01 बीघा 05 किरवा
 प्राप्ति 1503 डाय 05 किरवा प्राप्ति 1504 डाय
 01 बीघा 04 किरवा पर कब्जा कर रखा है अतः
 लाहसीलदार मोरवे पर जाँचा प्रतिवादीगण का कब्जा
 हटा वार वादी को स्तुपुद करे

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 23.6.17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(Signature)